न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

**जमानत आवेदन सं0–234/2026**

गोगरी थाना काण्ड सं0–199/25

**मनीष कुमार यादव उर्फ मनीष कुमार – बनाम् – राज्य**

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

**18.03.2026**

काराधीन आवेदक/अभियुक्त **मनीष कुमार यादव उर्फ मनीष कुमार** की ओर से गोगरी थाना काण्ड सं0–199/25, धारा–126(2), 329(2), 308(5) 352, 351(1), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में, यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक **09.10.2025** से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पूर्व आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है, तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल आपराधिक विविध सं0– 87310/25 को भी अस्वीकृत किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व का अन्य तीन आपराधिक इतिहास है। कथित धारा–308(5) BNS को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। उभय पक्ष आपस में पड़ोसी हैं तथा दोनों पक्षों के बीच पूर्व से दुश्मनी है। आवेदक पर लगाये गये सभी आरोप सुनियोजित और राजनीतिक रूप से हेर–फेर किये गये हैं और आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सूचक ने एक मोटरसाईकिल के संबंध में दो मामले दर्ज किये हैं। आवेदक को जान–बूझकर झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
**जमानत आवेदन सं0–234/2026**
गोगरी थाना काण्ड सं0–199/25

**लगातार**
**18.03.2026**

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.08.2025 को रात्रि के लगभग 12:40 बजे सूचिका अपने परिवार के साथ तीसरी बिल्डिंग पे सो रही थी, जब रात्रि में हरबराहट की आवाज सूनी, तो वह अपना मोबाईल का टॉर्च जला कर देखी तो बिट्टू कुमार उर्फ सोनू कुमार, आशीष कुमार यादव, मनीष कुमार यादव और तीन अज्ञात आदमी उसके घर के अंदर घुस कर गेट खोल कर बाइक नं0–बीआर34भी2043 (बुलेट) लेकर भाग रहा था, तभी सूचिका जोर से आवाज लगायी, तो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जाने के बाद पिस्टल से तीन फायर किया और चिल्लाते हुए कहा कि हमें पकड़ने की कोशिश किया, तो जान से मार देंगे तथा सूचिका के घर में ट्रोली बैग का चैन काटकर 60,000 रूपया तथा लगभग तीन लाख का जेबर लेकर फरार हो गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह–अभियुक्तों एवं अज्ञात के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक इस काण्ड का नामित अभियुक्त है तथा उस पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–60 के अनुसार, आवेदक के विरूद्ध अन्य तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आवेदक के कब्जे से घटना से संबंधित कोई भी अवांछित वस्तु की बरामदगी नहीं की गयी है। प्रस्तुत मामला एक ही मामला को लेकर दो अलग–अलग मामला दर्ज करायी गयी है, जिसके समर्थन में प्राथमिकी की छायाप्रति दाखिल है। उभय पक्ष के बीच वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। कथित घटना दिनांक 11.08.2025 की है, जबकि प्राथमिकी विलम्ब से दिनांक 13.08.2025 को दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। पूर्व में सह–अभियुक्त

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

**जमानत आवेदन सं0–234/2026**

गोगरी थाना काण्ड सं0–199/25

**लगातार**

**18.03.2026**

बिट्टू कुमार उर्फ सोनु कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1219/25 से एवं सह–अभियुक्त आशीष कुमार यादव को अग्रिम मानत आवेदन सं0–1273/25 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.10.2025 (लगभग 05 माह 09 दिन) से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में उसे Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्त को मो0–3,000/–(तीन हजार) रूपये Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ,** मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

| | |
|---|---|
| Date of Judgement/Order | 18.03.26 |
| Date of Reserving Judgement/Order | —— |
| Uploading Date | 19.03.26 |
| Uploading by | Nikky Kumar (P.O) |